रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2012/ज्येष्ठ 18, 1934	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 100]	DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2012/JYAISTHA 18, 1934	[N.C.T.D. No. 57

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 8 जून, 2012

फा. सं. डीई/41/1/137/एसबी/2006/723-729.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 18-3-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी/14017/12/87-स्था. (आरआर) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा (खेल) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय पद) भर्ती नियमावली, 2012 कहा जाये ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है ।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है ।

6. बचाव.—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा (खेल) के पद के भर्ती नियम :—

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीद्वारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा (खेल)	*01(2012) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिकीय	पीबी-4 37400-67000 रुपये (ग्रेड पे 8700 रुपये)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :** पीबी-3 में 7600 रुपये के ग्रेड पे सहित 15600-39100 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर इस नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उप-निदेशक, शिक्षा (खेल) तथा उप-निदेशक, शिक्षा (पीई एवं एनआई) । **टिप्पण 1 :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण 2 :** पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 1-1-2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू संबद्ध वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
(12)	(13)
''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिये) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष, उस स्थिति में जबकि वह संबंधित विभाग में पदेन सचिव के पद पर न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुरेश गुप्ता, विशेष सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2012

F. No. DE/41/1/137/SB/2006/723-729.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Adminsitrative Reforms) O.M. No. AB. 14017/12/87-Estt. (RR), dated 18-3-1988, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director of Education (Sports) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Education, Additional Directorate of Education (GCS Group-A Gazetted Non-Ministrial Post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in the 'Schedule'.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the posts of Additional Director of Education (Sports) under the Directorate of Education, Department of Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Director of Education (Sports)	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	GCS, Group-A Gazetted, Non-Ministerial	PB-4 Rs. 37400-67000 (Grade Pay Rs. 8700)	Selection	NA

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
N.A.	N.A.	N.A.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion.	**Promotion :** Deputy Director of Education (Sports) and Deputy Director of Education (PE & NI) in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 7600 in PB-3, with 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service, by more than half of such qualifying/ eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(12)	(13)
Group 'A' DPC for Promotion : 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi —Member 3. Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi —Member 4. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Department concerned —Member	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Special Secy.

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जून, 2012

फा. सं. 8/40/2010/गृह पुलिस-II/3326.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से श्री एच.जे.एस. अहलुवालिया, एडवोकेट को, नवम्बर, 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस-एफआईआर संख्या 487/92 दिनांक 12-12-1991 भा.द.सं. की पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार धारा 147/149/302/436/427/395 पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार में राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक अपील संख्या 7/2010, श्री श्रवण सिंह भाटिया बनाम राज्य सरकार व अन्य सिख विरोधी दंगा 1984 के संचालन के लिए अगले आदेशों तक विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

उक्त श्री एच.जे.एस. अहलुवालिया, एडवोकेट को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) द्वारा निम्नलिखित शुल्क प्रदान की जाएगी :—

1. ब्रीफ हैंडलिंग प्रभार	—33,000 रुपये
2. न्यायालय में उपस्थित होना, प्रति सुनवाई	—22,000 रुपये
3. कान्फ्रेंस प्रभार	—5,000 रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरुण गुप्ता, उप-सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2012

No. F. 8/40/2011/HP-II/3326.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. 11011/2/74/UTL (i) dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri H.J.S. Ahluwalia, Advocate, to conduct Crl. Appeal No. 7/2010, Shri Sarwan Singh Bhatia Vs. State & Ors a November 1984 anti Sikh riot case FIR No. 487/92 dated 12-12-1991, u/s 147/148/149/302/436/427/395-IPC, PS Paschim Vihar, Delhi, on behalf of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the High Court of Delhi, till further orders.

The said Shri H.J.S. Ahluwalia, Advocate will be paid fee by the State (Government of National Capital Territory of Delhi), on the following terms and conditions :—

1. Brief handling charges	—Rs. 33,000
2. Appearance before the Court per hearing	—Rs. 22,000
3. Conference charges	—Rs. 5,000

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
ARUN GUPTA, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 8 जून, 2012

फा. सं. 11(11)/रा./स्थ./उपा./रा.श./2012/पार्ट फाइल/956.— सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 172 दिनांक 20-4-2012 के संदर्भ में सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) ने दिनांक 27-4-2012 को उपायुक्त (नई दिल्ली), जिला नई दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया है । अत:

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2077 DG/12-2

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सुश्री निला मोहनन, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त किया जाता है ।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 8th June, 2012

F. No. 11(11)GA/Estt./DC/Rev.P./DC/P.F./2012/956.—In pursuance of Services Department's Order No. 172 dated 20-04-2012, Ms. Nila Mohanan, IAS (AGMU:2007) has joined as Deputy Commissioner (New Delhi), District New Delhi on 27-04-2012, Now, therefore,

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Ms. Nila Mohanan, IAS(AGMU:2007)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to her w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(ii) In Exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Ms. Nila Mohanan, IAS(AGMU:2007)/Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Ms. Nila Mohanan, IAS(AGMU:2007)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Ms. Nila Mohanan, IAS(AGMU:2007)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Ms. Nila Mohanan, IAS(AGMU:2007)/Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Ms. Nila Mohanan, IAS (AGMU:2007)/Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to her w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

फा. सं. 11(11)/रा./स्था./उपा./रा.श./2012/पार्ट फाईल/958.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 172 दिनांक 20-4-2012 के संदर्भ में श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005) ने दिनांक 1-5-2012 को उपायुक्त उत्तर, जिला उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है । अत:

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त, को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री आशीष माधवराव मोरे, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2005)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त किया जाता है ।

F. No. 11(11)GA/Estt./DC/Rev.P./DC/P.F./2012/958.—In pursuance of Services Department's Order No. 172 dated 20-04-2012,. **Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)** has joined as **Deputy Commissioner (North), District North** on 1-5-2012, Now, therefore,

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Ashish Madhaorao More, IAS(AGMU : 2005)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(ii) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)/ Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f.. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)/Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Ashish Madhaorao More, IAS (AGMU : 2005)/Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

फा. सं. 11(11)/रा./स्थ./उपा./रा.श./2012/पार्ट फाइल II/957.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 172, दिनांक 20-4-2012 के संदर्भ में श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) ने दिनांक 25-4-2012 को उपायुक्त पश्चिम, जिला पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अत: :—

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007)/उपायुक्त को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

11C

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री अमेय अभयंकर, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.-2007) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल आदेश से तथा उनके नाम पर
कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव

F. No. 11(11)GA/Estt./DC/Rev.P./DC/P.F.-II/2012/957.—In pursuance of Services Department's Order No. 172 dated 20-04-2012,. Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) has joined as Deputy Commissioner (West), District West on 25-4-2012. Now, therefore,

(i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(ii) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) /Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) /Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) /Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) /Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

(vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Ameya Abhyankar, IAS (AGMU : 2007) /Deputy Commissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi
KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.